



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288|

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937

No. 288|

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

अधिसूचना

मुंबई, 17 जुलाई, 2015

अशोक भारतीय एवं कंपनी

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)

मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2015 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम(एसयूयूटीआई), मुंबई की योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएम 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड के संलग्न तुलन पत्रों एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है एवं इन्हें प्रबंधन द्वारा जो कि कापोरिट कार्यालय, मुंबई में केंद्रीकृत है, तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जांच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन भी किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा संचालित लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को एक समुचित आधार प्राप्त होता है।

अशोक भारतीय एवं कंपनी

सनदी लेखाकार

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप तथा यहाँ संलग्न अनुबंध में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों एवं तालिका 'ड' में उल्लिखित लेखा टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
- (ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- (ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ड' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर:
 - (i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2015, एसयूटीआई की विभिन्न योजनाओं/फंडों की सच्ची और साफ स्थिति दर्शाई जा सके।
 - (ii) योजनाओं/फंडों अर्थात् यूएस 64 बॉण्ड्स के उक्त राजस्व लेखे, आय का व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं। तथा एआरएस बॉण्ड के राजस्व लेखे व्यय का आय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.,

सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 17.07.2015

अशोक भारतीय एवं कंपनी

सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (अनुबंध, उक्त रिपोर्ट का अंश)

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के ज़रिए निरस्त कर दिया था। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए 01 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। अतः उपरोक्त योजनाओं/फंडों के संबंध में एसयूटीआई के लेखे, निरसन अधिनियम के अनुसरण में तैयार किए गए हैं।
2. डिबेंचर एवं बॉण्ड में किए गए निवेश जिनमें सावधि ऋण (ऋण निवेश से संबंधित) भी शामिल हैं, में पिछले कई वर्षों के दौरान स्वीकृत ऐसे कई मामले शामिल हैं, जहाँ हालांकि बहुत पहले ही अनुबंधित अवधि बीत चुकी थी फिर भी पूर्ण रूप से सुरक्षा निर्मित नहीं की गई है तथा जब तक मामले/कंपनियों वसूली/बीआईएफआर/परिसमापन के अधीन हैं, ऋण पोर्टफोलियो पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
3. एसयूटीआई, यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस लि. के ज़रिए विभिन्न संपत्तियों की बिक्री कर रहा है। इसकी संपत्ति के प्रमुख भाग की बिक्री की जा चुकी है तथा अभी तक जिन संपत्तियों की बिक्री नहीं हुई है वे मुख्यतया दोषयुक्त/विवादास्पद हैं। हमारी राय में, बाज़ार की वर्तमान परिस्थितियों/ऐसी न बेची गई संपत्तियों के मूल्य को

देखते हुए उन्हें जैसी है जहाँ है के आधार पर बेचने पर विचार किया जा सकता है अथवा उन्हें दोषमुक्त कर विवादों के निपटान हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.
सनदी लेखाकार
(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 17.07.2015

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. आय निर्धारण

- I. लाभांश आय निम्नलिखित आधार पर निर्धारित मानी जाती है:
 - क. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, "लाभांश रहित" तारीख को प्रोद्भूत होती है।
 - ख. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, घोषणा की तारीख को प्रोद्भूत होती है।
 - ग. अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश आय, प्राप्ति की तारीख को प्रोद्भूत होती है।
- II. डिबेंचर एवं अन्य नियत आय वाले निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है।
- III. निवेशों की बिक्री से होनी वाली लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।
- IV. यूनिट योजना 1964 बॉण्ड, जिसके अंतर्गत अचल आस्तियां हैं, यूटीआई एएमसी लि. द्वारा उपरोक्त आस्तियों के प्रयोगार्थ न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित आपसी सहमति आधार पर सेवा प्रभार वसूल करता है।
- ख. यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

यूएस 64 के संबंद में, जहाँ यूनिटें भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर पुनर्खरीद की जा रही हों तो प्रीमियम को यूनिट-प्रीमियम प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है। जब कभी यूएस 64 की यूनिटें, शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित मूल्यों के अंतर्गत पुनर्खरीद की जाती हैं तो बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।
- ग. व्यय

यह, प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।
- घ. निवेश
 - i. निवेश लागत अथवा घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।
 - ii. द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री को व्यापार की तारीख को हिसाब में लिया जाता है।
 - iii. निवेश की लागत में दलाली, सेवा-कर एवं डाक प्रभार शामिल हैं।
 - iv. प्राथमिक बाजार में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
 - v. अधिकार पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण "अधिकार रहित" तारीख को किया जाता है।
 - vi. बोनस पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण, "बोनस रहित" तारीख को किया जाता है।
 - vii. डिबेंचर/बॉण्ड, ऋणों एवं जमाराशियों में निवेश का शोधन/देय तारीख से चालू आस्तियों में हिसाब में लिया एवं दिखाया जाता है।

ड निष्पादित निवेशों का मूल्यांकन

इक्विटी एवं इक्विटी संबद्ध प्रतिभूतियां -

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां

जब किसी प्रतिभूति का किसी शेयर बाज़ार में 30 दिनों (मूल्यांकन तिथि सहित) के भीतर लेनदेन किया जाता है एवं ऐसी अवधि के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक होती हो अथवा लेनदेन की मात्रा रु. 5,00,000 से अधिक हो तो प्रतिभूति को कारोबारी प्रतिभूति कहा जाता है। इनका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसकी अनुपस्थिति में एनएसई का अंतिम बंद मूल्य लिया जाता है।

आ. गैर कारोबारी/कम कारोबारी/असूचीबद्ध प्रतिभूतियां

प्रतिभूतियों में निवेश जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाज़ार में लेनदेन नहीं किया गया है, का मूल्यांकन उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

1. डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट - ऋण प्रतिभूतियां -

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां -

डिबेंचर एवं बॉण्डों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाज़ार दर पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से 15 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है बशर्ते उस प्रतिभूति का मुख्य शेयर बाज़ार अथवा अन्य किसी शेयर बाज़ार में विक्रय योग्य लॉट (वर्तमान में रु. 5 करोड़) में अलग-अलग लेनदेन हुआ हो।

आ. गैर कारोबारी/कम कारोबारी प्रतिभूतियां -

गैर कारोबारी/कम कारोबारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i. दर्जाकृत ऋण प्रतिभूतियां -

60 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

60 दिनों से अधिक की अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन क्रिसिल एवं आईसीआरए द्वारा प्रदान की जाने वाली औसतन मूल्यों पर किया जाता है।

60 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

60 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर किया जाता है।

पुट/कॉल ऑप्शन वाली ऋण प्रतिभूतियां

कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नतम कॉल पर किया जाता है और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सबसे अधिक पुट पर किया जाता है। पुट एवं कॉल दोनों ऑप्शन वाली प्रतिभूतियां पुट/कॉल तिथि को परिपक्व हुई समझी जाएंगी एवं तदनुसार मूल्यांकित होंगी।

पूर्णतः/अंशतः/वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर:

i. डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, जहाँ परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हों, क्रमशः कारोबारी एवं कम कारोबारी/गैर कारोबारी इक्विटी हेतु लागू बाज़ार के अंतिम मूल्य अथवा उचित मूल्य में से नकदीकरण हेतु 10% बढ़ा काट कर किया जाता है।

ii. परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय भाग एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की सम्पूर्ण राशि का मूल्यांकन, जहाँ परिवर्तन की शर्तें लागू न हों, पैरा ड (ii) के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

iii. अदर्जाकृत/गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियां -

अदर्जाकृत/गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य में से 25 प्रतिशत बढ़ा काटकर किया जाता है जबकि दीर्घावधि बढ़ा वाले बॉण्डों का मूल्यांकन उनके अंतर्निहित लागत में से 25 प्रतिशत बढ़ा काट कर किया जाता है।

III. अनोद्धृत वारंट

अनोद्धृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बढ़ाकृत, यदि कोई हो, अंतर्निहित इक्विटी शेयर के बाज़ार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य घटा दिया जाता है। जिन मामलों में इस प्रकार प्राप्त मूल्य, देय प्रायोगिक मूल्य से अधिक होता है वहाँ वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहाँ देय प्रायोगिक मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी, गैर कारोबारी/असूचीबद्ध है तो ऐसे वारंट का मूल्य लागत पर लिया जाता है।

IV. अधिकार पात्रता:

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाज़ार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य को घटाकर तथा लाभांश तत्व के लिए बढ़ा काट कर, जहाँ लागू हो, किया जाता है।

V. मुद्रा बाज़ार की लिखते:

मुद्रा बाज़ार की लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत तथा मूल्यांकन तिथि तक उपार्जित ब्याज पर किया जाता है।

VI. अनोद्धृत/कम कारोबारी अधिमान शेयर:

- i. अधिमान शेयरों के दर्जे के अभाव में किसी कंपनी की उपलब्ध ऋण लिखतों के दर्जे का प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।
- ii. 'अदर्जाकृत' एवं 'निवेश श्रेणी से निम्न' श्रेणी वाले अधिमान शेयरों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बढ़े पर किया जाता है।
- iii. संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन, पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्यांकन हेतु लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। यदि परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध न हों तो वे सामान्य अधिमान शेयर माने जाते हैं और तदनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।
- iv. अधिमान शेयरों पर 90 दिनों के भीतर लाभांश प्राप्त न होने के मामले में मूल्यांकन हेतु 15% बढ़ा लागू किया जाता है। यदि बकाया 1 वर्ष से अधिक तक जारी रहता हो, तब 20% का बढ़ा लागू होता है।
- v. यदि प्रतिदान राशि 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु 100% प्रावधान बनाया जाता है। यदि प्रतिदान किस्तों में हो और प्रतिफल 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु प्रावधान के अतिरिक्त शेष राशि पर ऊपर दिए गए अनुसार बढ़ा लागू होता है।
- vi. यदि अधिमान शेयरों के प्रति पहले से ही प्रावधान किया गया हो तथा कंपनी द्वारा जारी कोई अन्य आस्ति गैर निष्पादी हो तो ऐसे अधिमान शेयरों को शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

VII. म्यूचुअल फंड की यूनितें

म्यूचुअल फंड की सूचीबद्ध एवं कारोबारी यूनितें का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि की अंतिम कारोबारी मूल्य पर किया जाता है। एमएफ की असूचीबद्ध यूनितें तथा सूचीबद्ध परंतु गैर कारोबारी यूनितें का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को उपलब्ध शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।

VIII कार्पोरेट कार्रवाई

कार्पोरेट कार्रवाइयाँ, जैसे विलयन, अविलयन की सूचना मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत की जाती है ताकि उक्त प्रतिभूतियों की लागत की जानकारी प्राप्त की जा सके।

च. प्रावधान एवं मूल्यहास:

I. निवेश के मूल्य में मूल्यहास:

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यहास की सीमा तक मूल्यवृद्धि राजस्व लेखे में पुनः जमा कर दी जाती है।

II. गैर निष्पादी आस्तियों हेतु प्रावधान: (एनपीए)

- i. आस्ति को गैर निष्पादी (एनपीए) वर्गीकृत किए जाने की तिथि से पहले की अवधि के बकाया ब्याज के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी आस्तियां जिनका ब्याज/मूलधन, एक तिमाही अर्थात् 90 दिन अथवा उससे अधिक दिनों से ऐसी आय/किस्तें देय हों, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज एवं निवेश का प्रावधान आस्ति के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किया जाता है।
- ii. एनपीए पर प्रावधान को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है।
- iii. देय राशि की प्राप्ति पर उपरोक्त किए गए प्रावधान को चरणबद्ध रीति से पुनरांकित किया जाता है।
- iv. लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है, यदि वह लाभांश-रहित तिथि से 120 दिन से अधिक तक बकाया बना रहे।

छ. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी)

कारोबारी इक्विटी शेयर: कारोबारी प्रतिभूतियों की आईएसटी, यथा आईएसटी तिथि, अंतर दिन (स्पॉट मूल्य) पर प्रभावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार मूल्य पर किया जाता है।

ज. अभिरक्षक

भारतीय स्टॉक धारिता निगम(एसएचसीआईएल) अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करता है तथा प्रोद्भवन आधार पर उनके शुल्क की गणना की जाती है।

झ. अचल आस्तियां

- i. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की दशा में, परिणामतः पुनर्मूल्यांकन पर आधिक्य को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यवृद्धि की राशि पर मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।
- ii. मूल्यहास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छः माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यहास का प्रावधान उल्लिखित से आधे दर पर किया जाता है -

भवन एवं स्वामित्व वाले परिसर	5%
फर्नीचर एवं फिक्मचर	10%
कार्यालय उपकरण, भवन सुधार, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एवं मोटर वाहन	33.33%

पट्टे पर जमीन एवं परिसर का परिशोधन, पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।

- iii. ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यहास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि 8 वर्ष से अधिक न होने के मामले में, उसे 8 वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और 8 वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।
- iv. अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमोदित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यहास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।
- v. अचल आस्तियों की बिक्री पर, लागत की अवलिखित राशि एवं पुनर्मूल्यांकन पर अचल आस्तियों की मूल्यवृद्धि को घटाने पर प्राप्त लाभ/हानियां, राजस्व लेखे में हिसाब में ली जाती हैं। बेची गई आस्तियों हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में बकाया शेष को सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

ज. प्रारक्षित निधि:

पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 25ख(1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किए गए हैं जो एसयूटीआई के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 बॉण्ड के लेखों में लिखे जाते हैं।

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) -**क. गठन -**

इस निधि का संग्रहण, विकास, अनुसंधान, संवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रियाकलापों के लिए किया गया है। यह निधि, कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/पूजी के संबंध में गारंटी प्रदान करती है।

इस निधि के गठन में निम्नलिखित शामिल हैं -

i. अंशदान से:

- 1 जुलाई, 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार।

- अन्य सभी योजनाओं के लिए पूर्ववर्ती यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर।

ख. परिचालन -

i. निधि की आय एवं व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. निवेश उपरोक्त ड. में बताई गई नीति के अनुसार दर्शाए जाते हैं।

iii. निधि मुख्य रूप से ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/सह-प्रवर्तित कंपनी की इक्विटी शेयरों में निवेश करती है।

iv. योजना के समाप्त होने के दो वर्ष पश्चात्, लेखा वर्ष के अंत में अवशेष आस्तियां बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हों, अन्यथा अनुमोदित दरों के आधार पर मूल्यांकित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/प्रावधानों के प्रति समायोजित किया जाता है और परिणामतः शुद्ध अधिशेष/कमी को डीआरएफ में अंतरित किया जाता है। समूहित योजनाओं के मामले में यह प्रथा अंतिम योजना के समाप्त होने के दो वर्ष के पश्चात् अपनाई जाती है। यदि भविष्य में उस योजना के प्रति कोई दावा होता है तो वो डीआरएफ को प्रभारित किया जाता है।

ग. मोचन पश्चात् योजनाओं का शेष जहाँ महत्वपूर्ण उक्रियी भारत सर्का की तरफ से धारित है, विधिवत् आस्तियों एवं देयताओं का मिलान कर डीआरएफ में दर्शाया जाता है।

घ. अन्य निधियां -

वर्तमान में हमारे पास दो निधियाँ अर्थात् आस्ति पुनर्संरचना निधि, कर्मचारी कल्याण निधि है जिनकी स्थापना विकास प्रारक्षित निधि से प्राप्त अंशदान के ज़रिए की गई है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2015 का तुलन पत्र

रुपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		एआरएस बॉण्ड	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
देयताएं				
पूजी.....'क'	-	-	-	-
प्रारक्षित निधि और अधिशेष.....'ख'	4,01,894.15	3,26,500.69	(1,30,672.34)	(1,30,331.84)
चालू देयताएं और प्रावधान'ग'	60,312.87	61,335.79	1,83,627.33	1,95,240.31
विकास प्रारक्षित निधि का आकार	77,903.38	2,25,057.01	-	-
विकास प्रारक्षित निधि की चालू देयताएं और प्रावधान	2,16,024.84	38,914.10	-	-

विकास प्रारक्षित निधि के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताएं	1,30,162.82	113,652.37	-	-
विकास प्रारक्षित निधि.....'घ'	4,24,091.04	377,623.48	-	-
अन्य फंडों का आकार	1,61,488.40	145,125.82	-	-
अन्य फंडों की चालू देयताएं और प्रावधान	76,457.90	79,500.08	-	-
अन्य फंड.....'ङ'	237,946.30	2,24,625.90	-	-
कुल देयताएं	1,124,244.36	990,085.86	52,954.99	64,908.47
आस्तियां				
निवेश.....'च'	3,52,220.75	352,483.51	50,231.12	62,343.39
जमाराशियां.....'छ'	4,473.19	11,014.03	-	-
चालू आस्तियां.....'ज'	101,160.08	19,712.72	2,723.87	2,565.08
निश्चित आस्तियां.....'झ'	4,353.00	4,626.22	-	-
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां	293,928.22	263,971.11	-	-
विकास प्रारक्षित निधि के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताएं	130,162.82	113,652.37	-	-
विकास प्रारक्षित निधि के तहत कुल आस्तियां.....'ञ'	424,091.04	377,623.48	-	-
अन्य फंडों की आस्तियां.....'ट'	2,37,946.30	2,24,625.90	-	-
कुल आस्तियां	1,124,244.36	990,085.86	52,954.99	64,908.47

लेखा टिप्पणियां.....'ठ'

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी

सनदी अशोक भारतीय एवं कंपनी

ह.

ह.

ह.

अशोक भारतीय एवं कंपनी

इम्तयाजर रहमान

के. एन. पृथ्वीराज

बी. बाबूराव

भागीदार

मुख्य वित्तीय अधिकारी

सलाहकार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुंबई

दिनांक : 7 मई, 2015

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 की अवधि हेतु राजस्व लेखा

रु. लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		एआरएस बॉण्ड	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय				
लाभांश	48,979.11	42,772.93	9,157.42	7,998.83
ब्याज	28,091.91	2,351.72	(17,277.12)	(11,239.23)
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ	25.75	25.91	8,095.16	0.38
अन्य आय	1,558.07	306.42	-	-

रु. लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		एआरएस बॉण्ड	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूर्व अवधि का आय	(74.66)	(171.27)	(8.54)	(14.80)
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	9.13	3.26	-	5.66
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	-	-	15.00	-
पुनरांकित प्राप्य हेतु प्रावधान	1.10	0.46	-	-
उप योग (क)	78,590.41	45,289.43	(18.08)	(3,249.16)
घटाएं: संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	24.27	19.27	27.82	16.33
घटाएं: संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	-	-	-	-
उप योग (ख)	24.27	19.27	27.82	16.33
योग (क-ख)	78,566.14	45,270.16	(45.90)	(3,265.49)
व्यय				
कार्यालय व्यय	744.55	680.47	36.65	81.79
प्रचार व्यय	0.52	4.17	-	-
अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	1,369.53	1,216.64	175.40	171.33
लेखापरीक्षक का शुल्क	16.47	13.37	2.34	2.41
एएमसी का शुल्क	840.55	491.83	77.08	83.70
स्थाई आस्तियों में मूल्यहास	72.81	74.43	-	-
उप योग (क)	3,044.43	2,480.91	291.47	339.23
जोड़े: अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर हानि	8.07	118.76	3.13	29.12
उप योग (ख)	8.07	118.76	3.13	29.12
योग (क)+(ख)	3,052.50	2,599.67	294.60	368.35
व्यय से आय की अधिकता	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
योग	78,566.14	45,270.16	(45.90)	(3,265.49)
राजस्व विनियोजन लेखा व्यय से आय की अधिकता	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
जोड़े/घटाएं: पिछली अवधि के समायोजन	-	-	-	-
योग	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
शेष सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
योग	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)

384/2015-16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।
समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

ह. अशोक भारतीय भागीदार	ह. इम्नयाजुर रहमान मुख्य वित्तीय अधिकारी	ह. के. एन. पृथ्वीराज सलाहकार	ह. बी. बाबुराव मुख्य कार्यकारी अधिकारी
------------------------------	--	------------------------------------	--

मुंबई

दिनांक : 7 मई, 2015

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

रुपय लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		एआरएस बॉण्ड	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
तालिका 'क' पूंजी बॉण्ड पूंजी	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
तालिका 'ख' प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर) वर्ष के दौरान संग्रहित(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)	(2,79,463.84)	(2,79,463.84)	-	-
योग	(279,463.84)	(279,463.84)	-	-
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष(पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि) घटाएं: स्थाई संपत्तियों पर मूल्यहास में अंतरित घटाएं: सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	3,111.06 120.18 69.87	3,244.61 133.54 -	-	-
योग	2,921.01	3,111.06	-	-
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
तालिका 'ख' (जारी.) सामान्य प्रारक्षित निधि यूनिट पूंजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अंतरित	602,853.47 75,513.64 69.87	560,182.98 42,670.49 -	(130,331.84) (340.50) -	(126,698.00) (3,633.84) -
उप योग (क)	678,436.98	602,853.47	(130,672.34)	(130,331.84)
कुल योग	401,894.15	326,500.69	(130,672.34)	(130,331.84)

रुपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		एआरएस बॉण्ड	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
तालिका 'ग' चालू देयताएं और प्रावधान				
चालू देयताएं				
विविध लेनदार	679.76	439.40	127,279.27	134,694.21
संवीक्षाधीन आवेदन राशि	61.17	61.17	-	-
अदावी आय/लाभांश वितरण	57,317.46	58,594.78	55,138.17	59,349.03
योग (क)	58,058.39	59,095.35	182,417.44	194,043.24
तालिका 'ग' (जारी.) प्रावधान				
संदिग्ध आय के लिए प्रावधान	299.64	284.50	152.91	125.09
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों के लिए प्रावधान	709.23	709.23	1,002.59	1,017.59
प्राप्य हेतु प्रावधान	1,245.61	1,246.71	54.39	54.39
योग (ख)	2,254.48	2,240.44	1,209.89	1,197.07
योग (क)+(ख)	60,312.87	61,335.79	183,627.33	195,240.31
तालिका 'घ' विकास प्रारक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	225,057.01	347,842.33	-	-
विलयित फंडों के शेष का अंतरण	-	619.60	-	-
बिक्री/मोचन पर प्रीमियम	(0.76)	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	3,519.94	534,004.57	-	-
उप योग 'क'	228,576.19	882,466.50	-	-
घटाएं: निधि का उपयोग	150,672.81	657,409.49	-	-
उप योग 'ख'	150,672.81	657,409.49	-	-
विकास प्रारक्षित निधि का आकार उप योग ग=क-ख	77,903.38	225,057.01	-	-
चालू देयताएं और प्रावधान				
विविध लेनदार	1,85,650.01	7,945.38	-	-
अदावी आय/लाभांश वितरण	23,727.52	24,259.34	-	-
संदिग्ध आय के लिए प्रावधान	124.96	124.96	-	-
संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियों के लिए प्रावधान	6,518.26	6,580.33	-	-
प्राप्य हेतु प्रावधान	4.09	4.09	-	-
डीआरएफ की चालू देयताएं एवं प्रावधान-उप योग 'घ'	216,024.84	38,914.10	-	-
योग अ = (ग+घ)	293,928.22	263,971.11	-	-
तालिका 'घ' (जारी.) डीआरएफ के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताएं				
मोचन उपरांत फंड				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निधि	69,707.75	58,270.50	-	-

रुपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		एआरएस बॉण्ड	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	16,747.70	11,671.32	-	-
निधि का उपयोग	237.09	234.07	-	-
उप योग (क)	86,218.36	69,707.75	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान				
विविध लेनदार	1.28	1.44	-	-
भारत सरकार को देय	43,743.18	43,743.18	-	-
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	200.00	200.00	-	-
उप योग (ख)	43,944.46	43,944.62	-	-
डीआरएफ के तहत मोचन उपरां योजनाओं की देयताएं योग	130,162.82	113,652.37	-	-
आ= क+ख				
विकास प्रारक्षित निधि इ = अ + आ	424,091.04	377,623.48	-	-
तालिका 'ड'				
अन्य निधियां				
(क) स्टाफ कल्याण निधि (एसडबल्यूएफ)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	31,029.50	28,815.40	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	3,602.32	2,260.52	-	-
निधि का उपयोग	39.41	46.42	-	-
निधि का आकार- उप योग (अ)	34,592.41	31,029.50	-	-
चालू देयताएं एवं प्रावधान				
विविध लेनदार	0.27	0.35	-	-
उप योग (आ)	0.27	0.35	-	-
योग 'क' = (अ+आ)	34,592.68	31,029.85	-	-
(ख) आस्ति पुनःसंरचना निधि (एआरएफ)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	114,096.32	105,934.73	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	12,963.50	8,352.66	-	-
निधि का उपयोग	163.83	191.07	-	-
निधि का आकार- उप योग (अ)	126,895.99	114,096.32	-	-

	रुपर लाख में			
	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		एआरएस बॉण्ड	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
चालू देयताएं एवं प्रावधान				
विविध लेनदार	998.90	336.92	-	-
संदिग्ध आय के लिए प्रावधान	5,450.84	5,697.77	-	-
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियां हेतु प्रावधान	70,007.89	73,465.04	-	-
उप योग (आ)	76,457.63	79,499.73	-	-
योग 'ख' = (अ+आ)	203,353.62	193,596.05	-	-
अन्य निधियों का आकार - योग I	1,61,488.40	1,45,125.82	-	-
अन्य निधियों की चालू देयताएँ और प्रावधान - योग II	76,457.90	79,500.08	-	-
अन्य निधियां योग (क+ख)	2,37,946.30	2,24,625.90	-	-
तालिका 'च'				
निवेश				
डिबेंचर एवं बॉण्ड	0.01	247.74	-	207.37
अधिमान शेयर	889.23	889.23	200.00	200.00
इक्विटी शेयर	3,32,298.09	3,32,313.12	45,869.80	45,869.80
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	19,033.42	19,033.42	4,161.32	16,066.22
योग	3,52,220.75	3,52,483.51	50,231.12	62,343.39
उद्धृत (लागत पर)	2,92,382.83	2,92,371.01	42,876.29	42,876.29
अनोद्धृत (लागत पर)	59,837.92	60,112.50	7,354.83	19,467.10
'क'	3,52,220.75	3,52,483.51	50,231.12	62,343.39
उद्धृत (बाजार मूल्य)	32,30,886.21	31,38,783.16	5,64,373.78	5,67,582.05
अनोद्धृत (मूल्यांकन पर)	33,053.07	30,484.18	7,077.57	25,078.90
'ख'	32,63,939.28	31,69,267.34	5,71,451.35	5,92,660.95
निवेशों के मूल्य में मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास)				
योग ('ख' - 'क')	29,11,718.53	28,16,783.83	5,21,220.23	5,30,317.56
तालिका 'छ'				
जमाराशियां	3,600.00	3,600.00	-	-
बैंक में जमाराशियां				

कार्यालय के उपकरण	1.39	0.00	0.00	1.39	0.65	0.00	0.20	0.21	0.00	0.86	0.53	0.73
मोटर वाहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कंप्यूटर	958.97	1.11	0.00	960.08	956.20	0.00	1.11	1.11	0.00	957.31	2.77	2.77
भू-जी आस्तियों की खरीद हेतु अधिम	10722.72	1.11	187.44	10536.39	6102.06	106.09	72.81	193.01	120.20	6188.98	4347.41	4620.64
	5.58	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	5.58
योग	10728.30	1.11	187.44	10541.98	6102.06	106.09	72.81	193.01	120.20	6188.98	4353.00	4626.22

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं जारी.....

रुपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड		एआरएस बॉण्ड	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
तालिका 'अ' विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां इक्विटी शेयर डिबेंचर एवं बॉण्ड म्यूचुअल फंड की यूनिटें बैंक के पास जमाराशियां अन्य जमाराशियां	83,421.01 - 19,559.86 1,79,480.00 -	83,421.01 - 18,641.61 1,51,501.00 -	- - - - -	- - - - -
लागत पर निवेश उप योग (क)	2,82,460.87	2,53,563.62	-	-
चालू आस्तियां विविध देनदार बकाया और प्रोद्भूत आय बैंक शेष	- 11,447.32 20.03	- 10,394.59 12.90	- - -	- - -
उप योग (ख)	11,467.35	10,407.49	-	-
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां कुल पी=क+ख	2,93,928.22	2,63,971.11	-	-
तालिका 'अ' (जारी.) डीआरएफ के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की आस्तियां मोचन उपरांत निधि इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड की यूनिटें अन्य जमाराशियां	34,290.48 13,714.01 714.18	34,290.48 13,714.01 19,302.16	- - -	- - -
लागत पर निवेश उप योग (क)	48,718.67	67,306.65	-	-
चालू आस्तियां विविध देनदार	81,444.15	46,345.72	-	-
उप योग (ख)	81,444.15	46,345.72	-	-
डीआरएफ के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की आस्तियां क्यू=क+ख	1,30,162.82	1,13,652.37	-	-
विकास प्रारक्षित निधि की कुल आस्तियां आर = पी + क्यू	4,24,091.04	3,77,623.48	-	-

	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
तालिका 'झ'				
अन्य निधियों की आस्तियां				
(क) स्टाफ कल्याण निधि (एसडबल्यूएफ) की आस्तियां				
इक्विटी शेयर	500.00	500.00	-	-
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	3,939.77	3,939.77	-	-
अन्य जमाराशियां/बैंक के पास जमाराशियां	262.75	7,842.06	-	-
लागत पर निवेश उप योग (अ)	4,702.52	12,281.83	-	-
चाल आस्तियां				
विविध देनदार	29,890.16	18,748.02	-	-
उप योग (आ)	29,890.16	18,748.02	-	-
योग क = (अ+आ)	34,592.68	31,029.85	-	-
(ख) आस्ति पुनःसंरचना फंड(एआरएफ) की आस्तियां				
डिबेंचर एवं बॉण्ड	71.91	121.58	-	-
इक्विटी शेयर	5.95	5.97	-	-
म्यूचुअल फंड की यूनिटें	21,828.15	23,828.15	-	-
मियादी ऋण	-	-	-	-
अन्य जमाराशियां/बैंक के पास जमाराशियां	923.64	26,700.55	-	-
लागत पर निवेश उप योग (अ)	22,829.65	50,656.25	-	-
चाल आस्तियां				
बकाया एवं प्रोद्गत आय	5,502.45	5,749.38	-	-
विविध देनदार	1,75,021.52	1,37,190.42	-	-
उप योग (आ)	1,80,523.97	1,42,939.80	-	-
योग ख = (अ+आ)	2,03,353.62	1,93,596.05	-	-
अन्य निधियों की आस्तियां योग (क+ख)	2,37,946.30	2,24,625.90	-	-

के भाग १११

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

31 मार्च 2015, को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

तालिका "ड"

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 के ज़रिए निरस्त कर दिया गया है। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए 01 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि" के रूप में अधिसूचित किया था। ये वित्तीय विवरण, उक्त निरसन अधिनियम के अनुसरण में एसयूयूटीआई हेतु बनाए गए हैं।
2. भारत सरकार ने यू एस 64 के विनिर्दिष्ट आस्वासित मूल्य पर सीमित पुनर्खरीद सुविधा तथा आस्वासित आय वाली योजनाएं हेतु वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। शुद्ध आस्ति मूल्य(एनएवी) तथा प्रचलित पुनर्खरीद/आस्वासित मूल्य के अंतर हेतु मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। इस कमी को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि के अंतर्गत "भारत सरकार के विशेष पैकेज से निधियों का आगमन" के रूप में हिसाब में लिया गया है और न्यून राशि के रूप में प्राप्त अग्रिम राशि को यूएस 64 के मामले में "विविध लेनदार" के रूप में तथा अन्य योजनाओं हेतु न्यून राशि को "सामान्य प्रारक्षित" के अंतर्गत दर्शाते हुए डीआरएफ में रखा गया है जिसमें सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को "भारत सरकार से प्राप्त अनुदान" के रूप में लेखे में लिया गया है।
3. विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त रु. 2.31 करोड़(पिछले वर्ष रु. 2.31 करोड़) की आवेदन राशि बकाया है।

4. क. रु. 10.88 करोड़ (पिछले वर्ष में रु. 10.88 करोड़) की लागत के असूचीबद्ध/निष्क्रिय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन शून्य पर किया गया है क्योंकि "मूल्यांकन समिति" के मतानुसार उक्त अधिमान शेयरों का अवशिष्ट मूल्य नगण्य है।
- ख. अभिरक्षक(एसएचसीआईएल) के साथ हमारी लेखा-बहियों का मिलान करने पर निम्नलिखित अंतर का पता चला है:-
- (i) इक्विटी शेयरों में रु. 1.86 करोड़ (लागत) जिसकी बिक्री हमारे द्वारा बहियों में दिखाई गई है परंतु खरीददारों के डीमैट खाता अवरुद्ध हो जाने के कारण इन शेयरों को जारी नहीं किया जा सका है।
- (ii) अधिमान शेयरों में रु. 0.05 करोड़(लागत), जिसके संबंध में कंपनियां जवाब नहीं दे रही हैं/जो नकदी की स्थिति में हैं।
- (iii) ऋण पत्रों और बॉण्डों के अंकित मूल्य में रु.183.20 करोड़ का अंतर है। इसमें से रु. 126.55 करोड़ की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की गई है तथा रु. 8.52 करोड़ की चुकौती हेतु कंपनी द्वारा पुष्टि/पत्र उपलब्ध है। साथ ही, रु. 25.59 करोड़ हेतु पुनर्संरचना के पश्चात् कंपनी ने जमानत जारी नहीं की है। रु. 22.54 करोड़ के अन्य अंतर, मोचन राशि के प्राप्ति न होने, मोचन राशि को बहियों में बाद में लेखे में लिए जाने अथवा कंपनियों के रुग्ण/परिसमाप्त इत्यादि होने के कारण है।
5. निवेश में निम्नलिखित शामिल हैं -
- (i) पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उप-धारा(3) के अंतर्गत समय-समय पर विस्तारित गैर-जमानती अग्रिम एवं ऋण।
- (ii) इक्विटी एवं ऋण जहाँ कंपनियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया में है;
- (iii) ऋणों में निवेश, जिनके संदर्भ में प्रतिभूति निर्माण किए जाने की प्रक्रिया में है।
6. कंपनियां जिसकी अधिकांश धारिताएं एसयूटीआई के पास है, निम्नानुसार हैं।

कंपनी का नाम	एसयूटीआई धारिता
यूटीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़री सर्विसेज़ लि.	91.44%
एक्सिस बैंक लि.,	11.59%
यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एण्ड सर्विसेज़ लि.	100 %

7. एसयूटीआई की संपत्ति के प्रबंधन एवं रख-रखाव संबंधी कार्य एवं तत्संबंधी मामलों को यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एण्ड सर्विसेज़ लिमिटेड (कंपनी) को ठेके पर (आउटसोर्स) दे दिया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कार्य के स्वरूप एवं संबंधित सेवाओं के लिए एसयूटीआई के साथ औपचारिक करार किया है।
- क. एसयूटीआई के स्वामित्व/अधिकार के अंतर्गत आनेवाली विभिन्न संपत्तियों के प्रलेखीकरण संबंधी औपचारिकताएं को पूरा किया जा रहा है क्योंकि बिक्री एक निरंतर प्रक्रिया है।
- ख. एसयूटीआई ने विभिन्न कंपनियों को पट्टे पर संपत्तियां दी हैं, एक्सिस, यूटीआई एएमसी एवं आईआरडीए के साथ औपचारिक करार किए गए हैं। तथापि, भारतीय जीवन बीमा निगम(एलआईसी)/एनपीसीआई के साथ औपचारिक करार की प्रक्रिया जारी है और इसे 8 मई, 2015 को निष्पादित किया जाएगा।

3646/2015

8. उपभोक्ता अदालत में लंबित रु. 1.43 करोड़ के मामलों लिए आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।
9. आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

S/d

इम्तेयाज़ुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

S/d

के एन पृथ्वीराज
प्रशासक

S/d

बी. बाबू राव
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

S/d

अशोक भारतीय
भागीदार
मुंबई

दिनांक: 7 मई 2015

बी. बाबू राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./41/15 (180)]

UNIT TRUST OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai the 17th July, 2015

ASHOK BHARTIA AND COMPANY
AUDITORS' REPORT

The Administrator,
Specified Undertaking of
Unit Trust of India (SUUTI),
Mumbai

We have audited the attached Balance Sheets of Schemes/Funds, i.e. 1. US 64 Bonds and 2. ARS Bonds, of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) as on 31st March, 2015 and also the related Revenue Accounts for the year ended on that date, annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the management and have been prepared by the management at centralized corporate office, Mumbai. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

Ashok Bhartia & Company
Chartered Accountants

On the basis of the audit indicated herein, and as required by The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, and subject to the limitations of disclosure required therein and subject to our observations referred in annexure attached hereto and Notes to account referred in Schedule 'M', we report that;

- We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- The Balance Sheet and related Revenue Accounts are in agreement with the books of account.

- c. In our opinion and to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and read with the Notes as per Schedule 'M' and the statement of significant accounting policies:
- the said Balance Sheets are full and fair containing all the necessary particulars and are properly drawn up in accordance with The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 so as to exhibit a true and fair view of affairs of the various Schemes/funds of SUUTI as on 31st March, 2015.
 - the said Revenue Accounts of the Scheme/Funds i.e. US 64 Bonds, show true and fair view of the Excess of Income over Expenditure . And the revenue account of ARS Bonds shows true and fair view of the Excess of Expenditure over Income.

FOR ASHOK BHARTIA & CO.

Chartered Accountants

S/d

[Ashok Bhartia]

Place : Mumbai

Dated : 17.07.2015

Ashok Bhartia & Company

Chartered Accountants

AUDITORS REPORT

(annexure, to & forming part of said Report)

- The Unit Trust of India Act, 1963 was repealed by the Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and repeal) Act 2002. In exercise of the powers conferred under the Act, the Central Government, vide its notification dated 15th January, 2003 had notified 1st February, 2003 as the "Appointed Day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz. Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. The accounts of SUUTI, therefore, relating to the above mentioned Schemes/Funds have been drawn up pursuant to the said Repeal Act.
- Investments in Debentures and Bonds including term loans (relating to debt portfolio) include cases sanctioned in earlier years, although the stipulated period has since been elapsed but complete security were not created so far as the matters / companies are under Recovery/BIFR /Liquidation, therefore, the debt portfolio cannot be commented.
- SUUTI has been selling various properties through UTI Infrastructure technology and Service Limited. The major part of its properties has already been sold out, and what ever remained unsold so far are of mainly defective/disputed title. In our opinion, considering the current market conditions/value of the properties remained unsold as such, it may be considered to sell either as it is where it is basis or the efforts should be taken to remove the defects and settle the disputes.

FOR ASHOK BHARTIA & CO.

Chartered Accountants

S/d

[Ashok Bhartia]

Place: Mumbai

Dated: 17.07.2015

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Income Recognition:

- I. Dividend income is recognised on the following basis:
 - a. In respect of listed equity shares, dividend income is accrued on the "ex-dividend" date.
 - b. In respect of unlisted equity shares, dividend income is accrued on date of declaration.
 - c. In respect of preference shares, dividend income is accrued on the date of receipt.
- II. Interest on debenture and other fixed income investments is recognised as income on accrual basis.
- III. Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.
- IV. Unit Scheme 1964 Bonds, which owns the fixed assets, recovers service charges on mutually agreed basis approved by the Board of Advisors, from UTI AMC Ltd. for the usage of the said assets.

B. Unit Premium Reserve:

In respect of US 64, where units are repurchased at a premium over the face value under the special package announced by Government of India, the premium is charged to Unit Premium Reserve. Wherever US 64 units are repurchased under the net asset value (NAV) related prices, the discount is credited to unit premium reserve.

C. Expenses:

These are accounted for on accrual basis.

D. Investments

- i. Investments are stated at cost or written down cost.
- ii. Purchase and Sale of Securities in Secondary market are accounted on trade dates.
- iii. The cost of investment includes brokerage, service tax, stamp charges and other taxes.
- iv. Subscription in primary market is accounted as Investments, upon allotment.
- v. Right entitlements are recognised as Investment on "ex-right" dates.
- vi. Bonus entitlements are recognised as Investment on "ex-bonus" dates.
- vii. Investments in debenture / bonds, loans and deposits are treated and disclosed as current assets from the redemption/due date.

E. Valuation for Performing Investments

I. Equity and Equity related Securities:

a. Traded Securities

When a security is traded on any stock exchange within a period of 30 days (including the valuation date) and the aggregate volume of trade during such period is more than 50,000 or if the trade value is greater than Rs.5,00,000 the security is treated as traded security. These are valued at the closing prices on BSE in absence of which closing price of NSE is taken.

b. Non traded / Thinly traded / Unlisted securities:

Investments in securities, which have not been traded on any stock exchange in the aforesaid manner, are stated at fair value.

II. Debentures, bonds, term loans and transferable notes - Debt Securities:

a. Traded Securities:

Investment in debentures and bonds are valued at the closing market rate as on the date of valuation and, in its absence, at the latest quote available during a period of fifteen days prior to the valuation date provided there is an individual trade in that security in marketable lot (presently Rs.5 Crore) on the Principal Stock Exchange or any other Stock Exchange.

b. Non-traded / Thinly traded securities:

Investment in non traded / thinly traded securities is valued as under:

i) Rated Debt Securities:**Debt securities with residual maturity of greater than 60 days:**

Investment in securities with residual maturity period of greater than 60 days are valued at the average of prices provided by CRISIL and ICRA.

Debt securities with residual maturity of up to 60 days:

Investment in debt securities with residual maturity of up to 60 days are valued as on the valuation date on the basis of amortisation.

Debt security with put/call options:

Securities with call options are valued at the worst (lowest) of the call and securities with put options are valued at best (highest) of the put. Securities with both put and call options on the day are deemed to mature on the put/call day and are valued accordingly.

Fully / Partly/Optionally Fully Convertible Debentures:

i. Convertible portion of debentures, where the terms of conversion are available, is valued as equity at the closing market price or fair value applicable for, traded and thinly / non traded equity respectively less a discount of 10% towards liquidity.

ii. Non Convertible portion of Convertible debentures and the entire amount of convertible debentures where the terms of conversion are not available, are valued as per the norms applicable for non-convertible debentures as per para E(II)

ii) Unrated/ non investment grade Debt Securities:

Investments in unrated / non investment grade debt securities are valued at a discount of 25 percent to face value while deep discount bonds are valued at a discount of 25 percent to carrying cost.

III. Unquoted warrants:

Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil and where the exercise price is not available or the underlying equity is non traded/unlisted, such warrants are valued at cost.

IV. Rights entitlements:

Rights entitlements for the shares are valued at the market price of the share, reduced by the exercise price payable, further discounted for dividend element, whenever applicable.

V. Money Market Instruments:

Investments in Money Market Instruments are valued at cost plus accrued interest up to the valuation date.

VI. Unquoted / thinly traded Preference shares:

- i. In the absence of rating for Preference share, the ratings available for the debt instruments of a company is used for valuation.
- ii. 'Unrated' and 'Below investment grade', preference shares are valued at a discount of 25% to the face value.
- iii. The cumulative convertible preference shares are valued as per the norms applicable for valuation of fully convertible debentures. If the details of conversion are not available, they are considered as ordinary preference shares and are valued accordingly.
- iv. In case, dividend on preference is not received within 90 days, a discount of 15% is applied in the valuation. If the arrears continue for more than 1 year, the discount applied is 20%.

- v. If the redemption value is not received within 90 days, 100% provision of the redemption receivable is made. If the redemption is in parts and proceeds are not received within 90 days, in addition to the provision for redemption receivable, the discount as given above is applied on the balance.
- vi. If there exists provision against a preference share and any other asset issued by the company is NPA such preference shares are valued at zero.

VII. Mutual Fund Units:

Mutual Fund Units listed and traded are valued at the closing traded price as on the valuation date. Unlisted MF Units and listed but not traded MF Units are valued at the Net Asset Value (NAV) as on the valuation date.

VIII. Corporate Action:

Corporate actions such as merger, demerger are referred to the Valuation Committee to discover the prices of such securities.

F. Depreciation and Provision:

I. Depreciation in the value of investments:

The aggregate value of investments as computed in accordance with norms above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any is charged to revenue account. In case such aggregate value exceeds the aggregate cost or the aggregate value as at the end of the previous year, the appreciation is credited to revenue account to the extent depreciation was previously adjusted.

II. Provisions for non performing asset: (NPA)

- i. Provision is made in respect of outstanding interest income of the period prior to the date on which asset is classified as non-performing (NPA). An "asset" is classified as non-performing, if the interest and/or principal amount have not been received or remained outstanding for one quarter, i.e. 90 days or more from the day such income/ installment has fallen due. The interest and investment provision is made from the date the asset is classified as NPA.
- ii. Provision for NPA is charged to Revenue Account
- iii. Provision made as above is written back on receipt of dues, in phased manner.
- iv. Provision is made in respect of dividend, where it remains outstanding for more than 120 days from the ex-dividend date.

G. Inter scheme transactions (ISTs):

Traded equity shares: ISTs of traded securities are effected at the intra-day (spot price) as on the IST date and in its absence, at the latest closing market price available during the last 30 days.

II. Custodian:

Stock Holding Corporation of India (SHCIL) provides custodial services and their fees are accounted for on accrual basis.

I. Fixed Assets :

- i. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation, except in respect of land, buildings, premises and building improvements which are stated at revalued cost less accumulated depreciation. In the event of revaluation, the resultant surplus on revaluation is shown as revaluation reserve. Depreciation on the appreciated amount on account of revaluation is charged to Revaluation Reserve.
- ii. Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except on those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

Building and ownership premises	5%
Furniture and Fixtures	10%
Office equipments, Building Improvements,	

- Software, Computers & Motor Vehicles 33.33%
- Leasehold land and premises are amortised equally over the period of lease.
- iii. Building improvements in leased premises are depreciated at 33.33% in case the lease period exceeds eight years. However, in case the lease period does not exceed eight years, the same is amortised over the period of lease and in case the lease is not renewed within the period of eight years, the balance unamortised amount is charged in the last year of lease.
- iv. Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.
- v. On sale of Fixed Assets, the profit / loss arrived at after reducing the written down value of cost and appreciation of fixed asset on revaluation has been accounted in the Revenue account. The balance outstanding in revaluation reserve for assets sold has been transferred to General Reserve.

J. Reserve funds:

In accordance with the provisions of Section 25 B (1) of the erstwhile Unit Trust of India Act, 1963 the following funds had been created, which, though belonging to the SUUTI, are accounted under the Unit Scheme 1964 Bonds as a matter of administrative convenience.

Development Reserve Fund (DRF) :**A. Constitution:**

The Fund was set up for developmental, research, promotional and any other activities of the Trust. The fund provides guarantee in respect of return/capital under certain schemes.

The Fund is built up by: -

i. Contributions from

-schemes launched from 1st July, 1994 onwards, as per the respective scheme provisions.

-for all other schemes, at the rates approved by the Board of Trustees of erstwhile UTI.

B. Operation:

i. Income and expenses of the fund are accounted for on accrual basis.

ii. Investments are stated as per policy stated in E above.

iii. The fund mainly invest in the equity shares of companies promoted/co-promoted by the Trust.

iv. Two Years after closure of a scheme, at the end of the accounting year the residual assets are valued on the basis of market price, if available, otherwise as per the approved rates. The value so arrived at is adjusted against liabilities/provisions and the resultant net surplus/deficit is transferred to DRF. In case of pooled schemes this practice is followed two years after closure of the last scheme. Any claims in future against these schemes are charged to DRF.

C. The balances of Post redemption schemes where strategic equity is held on behalf of Government Of India, are shown under DRF, duly matched assets and liabilities.

D. Other Funds:-

Currently we are having two Funds namely Asset Reconstruction Fund and Staff Welfare Fund, established through contribution from the Development Reserve Fund.

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA**BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015**

	Rupees in Lakhs			
	UNIT SCHEME 64 BONDS		ARS BONDS	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
LIABILITIES				
CAPITAL..... 'A'	-	-	-	-
RESERVES AND SURPLUS..... 'B'	4,01,894.15	3,26,500.69	(1,30,672.34)	(1,30,331.84)
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS 'C'	60,312.87	61,335.79	1,83,627.33	1,95,240.31
SIZE OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	77,903.38	2,25,057.01	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF DRF	2,16,024.84	38,914.10	-	-
LIABILITIES OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF	1,30,162.82	1,13,652.37	-	-

	UNIT SCHEME 64 BONDS		Rupees in Lakhs ARS BONDS	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
DEVELOPMENT RESERVE FUND..... 'D'	4,24,091.04	3,77,623.48	-	-
SIZE OF OTHER FUNDS	1,61,488.40	1,45,125.82	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS OF OTHER FUNDS	76,457.90	79,500.08	-	-
OTHER FUNDS..... 'E'	2,37,946.30	2,24,625.90	-	-
TOTAL LIABILITIES	11,24,244.36	9,90,085.86	52,954.99	64,908.47
ASSETS				
INVESTMENTS..... 'F'	3,52,220.75	3,52,483.51	50,231.12	62,343.39
DEPOSITS 'G'	4,473.19	11,014.03	-	-
CURRENT ASSETS..... 'H'	1,01,160.08	19,712.72	2,723.87	2,565.08
FIXED ASSETS..... 'I'	4,353.00	4,626.22	-	-
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND	2,93,928.22	2,63,971.11	-	-
ASSETS OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF	1,30,162.82	1,13,652.37	-	-
TOTAL ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND.....'J'	4,24,091.04	3,77,623.48	-	-
ASSETS OF OTHER FUNDS.....'K'	2,37,946.30	2,24,625.90	-	-
TOTAL ASSETS	11,24,244.36	9,90,085.86	52,954.99	64,908.47
NOTES TO ACCOUNTS.....'M'				

Notes to Accounts 'M'

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

ASHOK BHARTIA & CO.

Chartered Accountants

ASHOK BHARTIA
PARTNER

IMTAIYAZUR RAHMAN
CHIEF FINANCE OFFICER

K. N. PRITHVIRAJ
Advisor

B. BABU RAO
Chief Executive Officer

Mumbai

Dated : 7 th May, 2015

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS		ARS BONDS	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME				
DIVIDEND	48,979.11	42,772.93	9,157.42	7,998.83
INTEREST	28,091.91	2,351.72	(17,277.12)	(11,239.23)
PROFIT ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	25.75	25.91	8,095.16	0.38
OTHER INCOME	1,558.07	306.42	-	-
PRIOR PERIOD INCOME	(74.66)	(171.27)	(8.54)	(14.80)
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME PR YR WRITTEN BACK	9.13	3.26	-	5.66
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT& DEPOSITS WRITTEN BACK	-	-	15.00	-
PROVISION FOR RECEIVABLES WRITTEN BACK	1.10	0.46	-	-
SUB TOTAL (A)	78,590.41	45,289.43	(18.08)	(3,249.16)
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	24.27	19.27	27.82	16.33
LESS:PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENT& DEPOSITS	-	-	-	-
SUB TOTAL (B)	24.27	19.27	27.82	16.33
TOTAL (A-B)	78,566.14	45,270.16	(45.90)	(3,265.49)
EXPENDITURE				
OFFICE EXPENSES	744.55	680.47	36.65	81.79
PUBLICITY EXPENSES	0.52	4.17	-	-
CUSTODIAL, REGISTRAR & BANK CHGS	1,369.53	1,216.64	175.40	171.33
AUDITORS' FEES	16.47	13.37	2.34	2.41
AMC FEES	840.55	491.83	77.08	83.70
DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	72.81	74.43	-	-
SUB TOTAL (A)	3,044.43	2,480.91	291.47	339.23
ADD: LOSS ON SALE/REDEMPTION OF INVESTMENT OTHER THAN IST	8.07	118.76	3.13	29.12
SUB TOTAL (B)	8.07	118.76	3.13	29.12
TOTAL (A)+(B)	3,052.50	2,599.67	294.60	368.35
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
TOTAL	78,566.14	45,270.16	(45.90)	(3,265.49)
REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT				
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
ADD/(LESS): PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	-	-	-	-
TOTAL	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
BALANCE TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
TOTAL	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)

30/10/15-4

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

As per our attached report of even date

For and on behalf of

ASHOK BHARTIA & CO.**Chartered Accountants**ASHOK BHARTIA
PARTNER
MumbaiIMTAIYAZUR RAHMAN
CHIEF FINANCE OFFICERK. N. PRITHVIRAJ
AdvisorB. BABU RAO
Chief Executive Officer

Dated : 7th May, 2015

**ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST
MARCH, 2015**

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS		ARS BONDS	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
SCHEDULE 'A'				
CAPITAL				
BOND CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
SCHEDULE 'B'				
RESERVES AND SURPLUS				
UNIT PREMIUM RESERVE				
BALANCE AS PER THE LAST BALANCE SHEET(UPR)	(2,79,463.84)	(2,79,463.84)	-	-
PREMIUM COLLECTED/(PAID) DURING THE YEAR(NET)	-	-	-	-
TOTAL	(2,79,463.84)	(2,79,463.84)	-	-
FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE				
BALANCE AS PER LAST B.SHEET(REVALUATION RESERVE)	3,111.06	3,244.61	-	-
LESS: TRANSFERRED TO DEPRECIATION ON FIXED ASSETS	120.18	133.54	-	-
LESS: TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	69.87	-	-	-
TOTAL	2,921.01	3,111.06	-	-
GENERAL RESERVE				
GENERAL RESERVE ON UNIT CAPITAL				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET.	602,853.47	560,182.98	(130,331.84)	(126,698.00)
TRANSFERRED FROM REVENUE APPROPRIATION ACCOUNT	75,513.64	42,670.49	(340.50)	(3,633.84)
TRANSFERRED FROM FIXED ASSET REVALUATION RESERVE	69.87	-	-	-
SUB TOTAL (a)	678,436.98	602,853.47	(130,672.34)	(130,331.84)
GRAND TOTAL	401,894.15	326,500.69	(130,672.34)	(130,331.84)

SCHEDULE 'C'				
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS				
CURRENT LIABILITIES				
SUNDRY CREDITORS	679.76	439.40	127,279.27	134,694.21
APPLICATION MONEY PENDING	61.17	61.17	-	-
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION	57,317.46	58,594.78	55,138.17	59,349.03
TOTAL (A)	58,058.39	59,095.35	182,417.44	194,043.24
SCHEDULE 'C' (Contd.)				
PROVISIONS				
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	299.64	284.50	152.91	125.09
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	709.23	709.23	1,002.59	1,017.59
PROVISION FOR RECEIVABLES	1,245.61	1,246.71	54.39	54.39
TOTAL (B)	2,254.48	2,240.44	1,209.89	1,197.07
TOTAL (A)+(B)	60,312.87	61,335.79	183,627.33	195,240.31
SCHEDULE 'D'				
DEVELOPMENT RESERVE FUND				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	225,057.01	347,842.33	-	-
TRANSFER OF BALANCES OF MERGED FUNDS	-	619.60	-	-
PREMIUM ON SALE/REDEMPTION	(0.76)	-	-	-
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	3519.94	534,004.57	-	-
SUB TOTAL 'A'	228,576.19	882,466.50	-	-
LESS: UTILISATION OF FUND	150,672.81	657,409.49	-	-
SUB TOTAL 'B'	150,672.81	657,409.49	-	-
SIZE OF DEVELOPMENT RESERVE FUND SUB TOTAL C=A-B	77,903.38	225,057.01	-	-
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS				
SUNDRY CREDITORS	185,650.01	7945.38	-	-
UNCLAIMED INCOME/INTEREST DISTRIBUTION	23,727.52	24,259.34	-	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	124.96	124.96	-	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	6,518.26	6,580.33	-	-
PROVISION FOR RECEIVABLES	4.09	4.09	-	-
CURRENT LIAB. AND PROVISION OF DRF-SUB TOTAL 'D'	216,024.84	38,914.10	-	-
TOTAL X = (C+D)	293,928.22	263,971.11	-	-
LIABILITIES OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF				
POST REDEMPTION FUND				
GENERAL RESERVE AS PER LAST BALANCE SHEET	69,707.75	58,270.50	-	-
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	16,747.70	11,671.32	-	-
UTILISATION OF FUND	237.09	234.07	-	-
SUB TOTAL (a)	86,218.36	69,707.75	-	-
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS				
SUNDRY CREDITORS	1.28	1.44	-	-
PAYABLE TO GOVERNMENT OF INDIA	43,743.18	43,743.18	-	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	200.00	200.00	-	-
SUB TOTAL (b)	43,944.46	43,944.62	-	-
LIAB. OF POST REDEM. SCHEMES UNDER DRF TOTAL Y= A+B	130,162.82	113,652.37	-	-
DEVELOPMENT RESERVE FUND Z = X + Y	424,091.04	377,623.48	-	-

SCHEDULE 'E'				
OTHER FUNDS				
(A) STAFF WELFARE FUND (SWF)				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	31,029.50	28,815.40	-	-
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	3,602.32	2,260.52	-	-
UTILISATION OF FUND	39.41	46.42	-	-
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	34,592.41	31,029.50	-	-
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS				
SUNDRY CREDITORS	0.27	0.35	-	-
SUB TOTAL (b)	0.27	0.35	-	-
TOTAL 'A' = (a+b)	34,592.68	31,029.85	-	-
(B) ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)				
BALANCE AS PER LAST BALANCE SHEET	114,096.32	105,934.73	-	-
INCOME/INTEREST RECEIVED DURING THE YEAR	12,963.50	8,352.66	-	-
UTILISATION OF FUND	163.83	191.07	-	-
SIZE OF THE FUND - SUB TOTAL (a)	126,895.99	114,096.32	-	-
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS				
SUNDRY CREDITORS	998.90	336.92	-	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INCOME	5,450.84	5,697.77	-	-
PROVISION FOR DOUBTFUL INVESTMENTS & DEPOSITS	70,007.89	73,465.04	-	-
SUB TOTAL (b)	76,457.63	79,499.73	-	-
TOTAL 'B' = (a+b)	203,353.62	193,596.05	-	-
SIZE OF OTHER FUNDS - TOTAL I	161,488.40	145,125.82	-	-
CURRENT LIAB. & PROVN. OF OTHER FUNDS-TOTAL II	76,457.90	79,500.08	-	-
OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	237,946.30	224,625.90	-	-
SCHEDULE 'F'				
INVESTMENTS				
DEBENTURES AND BONDS	0.01	247.74	-	207.37
PREFERENCE SHARES	889.23	889.23	200.00	200.00
EQUITY SHARES	332,298.09	332,313.12	45,869.80	45,869.80
MUTUAL FUND UNITS	19,033.42	19,033.42	4,161.32	16,066.22
TOTAL	352,220.75	352,483.51	50,231.12	62,343.39
QUOTED (AT COST)	292,382.83	292,371.01	42,876.29	42,876.29
UNQUOTED (AT COST)	59,837.92	60,112.50	7,354.83	19,467.10
'A'	352,220.75	352,483.51	50,231.12	62,343.39
QUOTED (MARKET VALUE)	32,30,886.21	31,38,783.16	564,373.78	567,582.05
UNQUOTED (AT VALUATION)	33,053.07	30,484.18	7,077.57	25,078.90
'B'	32,63,939.28	31,69,267.34	571,451.35	5,92,660.95
APPRECIATION/(DEPRECIATION) IN VALUE OF INVESTMENT				
TOTAL ('B' - 'A')	29,11,718.53	28,16,783.83	5,21,220.23	5,30,317.56
SCHEDULE 'G'				
DEPOSITS				
DEPOSITS WITH BANKS	3,600.00	3,600.00	-	-
OTHER DEPOSITS	873.19	7,414.03	-	-
TOTAL	4,473.19	11,014.03	-	-

SCHEDULE 'I'				
CURRENT ASSETS				
BALANCE WITH BANKS IN CURRENT ACCOUNTS	370.28	357.61	1,576.12	1,427.14
SUNDRY DEBTORS	1,00,232.38	18,785.00	987.95	1,002.96
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	532.99	546.14	159.80	134.98
ADVANCES, DEPOSITS ETC	24.43	23.97	-	-
TOTAL	1,01,160.08	19,712.72	2,723.87	2,565.08

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA
SCHEDULE ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST
MARCH, 2015
US 64 BONDS

SCHEDULE 'I'
FIXED ASSETS

(RUPEES IN LAKHS)

	GROSS BLOCK AT COST				DEPRECIATION						NET BLOCK	
	AS ON 31st MARCH, 2014	ADDITIONS/ ADJUSTMENTS	DEDUCTION/ ADJUSTMENTS	TOTAL AS ON 31.03.2015	AS ON 31st MARCH, 2014	DEDUCTIONS ADJUSTMENTS	DEP. ON COST FOR 1.4.14 To 31.03.2015	DEP. ON REVALUED COST 1.4.14 TO 31.03.15	TRANSFERRED FROM REVALUATION RESERVE	TOTAL AS ON 31.03.2015	AS ON 31st MARCH, 2015	AS ON 31st MARCH, 2014
LAND (LEASEHOLD)	111.39	0.00	0.00	111.39	89.13	0.00	3.71	3.71	0.00	92.84	18.55	22.86
LAND (FREEHOLD)	835.45	0.00	0.00	835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.45	835.45
BUILDINGS	254.90	0.00	0.00	254.90	130.80	0.00	0.86	6.22	5.36	137.02	117.88	124.09
OFFICE PREMISES (LEASEHOLD)	15.55	0.00	0.00	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00
OWNERSHIP PREMISES	8545.07	0.00	187.44	8357.63	4909.73	106.09	66.93	181.76	114.83	4985.41	3372.21	3635.34
BUILDING IMPROVEMENTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FURNITURE & FIXTURE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFFICE EQUIPMENTS	1.39	0.00	0.00	1.39	0.65	0.00	0.20	0.21	0.00	0.86	0.53	0.73
MOTOR VEHICLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTERS	958.97	1.11	0.00	960.08	956.20	0.00	1.11	1.11	0.00	957.31	2.77	2.77
ADVANCE TOWARDS PURCHASE OF CAPITAL ASSETS	10722.72	1.11	187.44	10536.39	6102.06	106.09	72.81	193.01	120.20	6188.98	4347.41	4620.64
	5.58	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	5.58
TOTAL	0728.30	1.11	187.44	10541.98	6102.06	106.09	72.81	193.01	120.20	6188.98	4353.00	4626.22

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

SCHEDULES ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015 (CONTD.)

Rupees in Lakhs

	UNIT SCHEME 64 BONDS		ARS BONDS	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
SCHEDULE 'J'				
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND				
EQUITY SHARES	83,421.01	83,421.01	-	-
DEBENTURES AND BONDS	-	-	-	-
MUTUAL FUND UNITS	19,559.86	18,641.61	-	-
DEPOSITS WITH BANKS	1,79,480.00	1,51,501.00	-	-
OTHER DEPOSITS	-	-	-	-
INVESTMENT AT COST				
SUB TOTAL (A)	2,82,460.87	2,53,563.62	-	-
CURRENT ASSETS				
SUNDRY DEBTORS	-	-	-	-
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	11,447.32	10,394.59	-	-
BANK BALANCES	20.03	12.90	-	-
SUB TOTAL (B)	11,467.35	10,407.49	-	-
ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND TOTAL P=A+B	2,93,928.22	2,63,971.11	-	-
	UNIT SCHEME 64 BONDS		ARS BONDS	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
SCHEDULE 'J' (Contd.)				
ASSETS OF POST REDEMPTION SCHEMES UNDER DRF				
POST REDEMPTION FUND				
EQUITY SHARES	34,290.48	34,290.48	-	-
MUTUAL FUND UNITS	13,714.01	13,714.01	-	-
OTHER DEPOSITS	714.18	19,302.16	-	-
INVESTMENT AT COST				
SUB TOTAL (A)	48,718.67	67,306.65	-	-
CURRENT ASSETS				
SUNDRY DEBTORS	81,444.15	46,345.72	-	-
SUB TOTAL (B)	81,444.15	46,345.72	-	-
ASSETS OF POST REDEM. SCHEMES UNDER DRF Q=A+B	1,30,162.82	1,13,652.37	-	-
TOTAL ASSETS OF DEVELOPMENT RESERVE FUND R = P + Q	4,24,091.04	3,77,623.48	-	-
SCHEDULE 'K'				
ASSETS OF OTHER FUNDS				
(A) ASSETS OF STAFF WELFARE FUND (SWF)				
EQUITY SHARES	500.00	500.00	-	-
MUTUAL FUND UNITS	3,939.77	3,939.77	-	-
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	262.75	7,842.06	-	-
INVESTMENT AT COST				
SUB TOTAL (a)	4,702.52	12,281.83	-	-
CURRENT ASSETS				
SUNDRY DEBTORS	29,890.16	18,748.02	-	-
SUB TOTAL (b)	29,890.16	18,748.02	-	-
TOTAL A = (a+b)	34,592.68	31,029.85	-	-
(B) ASSETS OF ASSET RECONSTRUCTION FUND (ARF)				
DEBENTURES AND BONDS	71.91	121.58	-	-
EQUITY SHARES	5.95	5.97	-	-
MUTUAL FUND UNITS	21,828.15	23,828.15	-	-
TERM LOANS	-	-	-	-
OTHER DEPOSITS/DEPOSITS WITH BANKS	923.64	26,700.55	-	-
INVESTMENT AT COST				
SUB TOTAL (a)	22,829.65	50,656.25	-	-
CURRENT ASSETS				
OUTSTANDING AND ACCRUED INCOME	5,502.45	5,749.38	-	-
SUNDRY DEBTORS	1,75,021.52	1,37,190.42	-	-
SUB TOTAL (b)	1,80,523.97	1,42,939.80	-	-
TOTAL B = (a+b)	2,03,353.62	1,93,596.05	-	-
ASSETS OF OTHER FUNDS TOTAL (A+B)	2,37,946.30	2,24,625.90	-	-

SPECIFIED UNDERTAKING OF UNIT TRUST OF INDIA**NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015****Schedule "M"**

1. The Unit Trust of India Act, 1963 has been repealed by Government of India viz. "The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002". In exercise of the powers conferred under the Repeal Act, the Central Government vide its notification dated 15th January 2003 had notified 1st February 2003 as the "Appointed day" for the purpose of transfer and vesting the undertaking of the erstwhile UTI into two entities viz Specified Undertaking of Unit Trust Of India (SUUTI) and UTI Mutual Fund. These financial statements are drawn up for SUUTI, pursuant to the said Repeal Act.
2. The Government of India announced limited repurchase facility at the specified assured prices for US 64 and financial package for assured return schemes. The difference between the net asset value (NAV) and the applicable repurchase / assured price had been compensated by the Government. This deficit have been accounted for as 'Inflow from GOI Special Packages' under the Unit Premium Reserve and the amount received in advance in respect of short fall is accounted under the head 'Sundry Creditors' in the case of US 64 and for other schemes the deficit shown under 'General Reserve' have been made up by the DRF which has been accounted for all Govt. grant received as 'Grant Received from GOI'.
3. The application money available under various schemes amounting to Rs. 2.31 crore (previous year Rs.2.31 crore).
4. a. The unlisted /non traded preference shares costing Rs.10.88 crore (previous year 10.88 crore) have been valued at NIL as in the opinion of the 'valuation committee' the said preference shares have very negligible residual value.
b. The reconciliation of our Books of Accounts with the custodian (SHCIL) has revealed the following difference:-
 - (i) Rs. 1.86 crore (cost) in equity shares for which sale of equity shares effected in books but the shares could not be released as buyers demat account is blocked.
 - (ii) Rs. 0.05 crore(cost) in preference shares where the companies are not responding /are under liquidation.
 - (iii) Difference of Rs. 183.20 crore of face value in debentures and bonds. Out of this for Rs. 126.55 crore legal action is taken for recovery of dues and for Rs.8.52 crore the confirmation/letter evidencing servicing of dues from company is available. Further for Rs.25.59 crore, the companies have not issued security subsequent to restructuring. Other differences of Rs. 22.54 are on account of redemption proceeds not received, redemption receipts accounted subsequently in books or the companies are sick/liquidated etc.
5. Investments include,:
 - i) Unsecured advances and loans extended from time to time as provided under sub section (3) of section 19 of the erstwhile UTI Act 1963;
 - ii) Equities and debts where the certificates are yet to be issued by the companies;
 - iii) Debt exposure in respect of which security creation is in process.
6. Following are the companies where SUUTI has substantial holding.

Name of the Company	% holding of SUUTI
UTI Investment Advisory Services Ltd.	91.44%
Axis Bank Ltd.	11.59%
UTI Infrastructure Technology and Services Ltd.	100%
7. The work relating to management and maintenance of property belonging to SUUTI and related matters has been outsourced to UTI Infrastructure Technology and Services Limited (Company). During the year, the company has entered into formal agreement with SUUTI relating to the scope of work and related services.
 - a. The formalities relating to documentation for various properties under the ownership/ possession of SUUTI are being completed as the sale is a continuous process.
 - b. SUUTI has given the properties on lease to various companies. Formal agreement has been entered with EXIM, UTI AMC & IRDA. However, the formal agreements with LIC is in process/NPCI to be executed on 8th May, 2015.

8. Contingent liability not provided for cases pending with Consumer Forum Rs.1.43 crore.
9. The figures are regrouped / reclassified wherever necessary.

IMTAIYAZUR RAHMAN
Chief Finance Officer

K N PRITHVIRAJ
Advisor

B. BABURAO
Chief Executive Officer

For and on behalf of
ASHOK BHARTIA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

ASHOK BHARTIA
Partner
MUMBAI
DATED: 7th May, 2015

B. BABU RAO, Executive Officer
[ADVT. III/4/Exty/41/15 (180)]